//कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म0प्र0)//

क्रमांक/ 2066 **/लेखा.अनु./2026** **झाबुआ, दिनांक** 29**/08/2026**

-:: निविदा आमंत्रण सूचना ::-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर झाबुआ स्थित केंटीन के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाऐं/व्यक्ति एवं कंपनी बंद निविदा प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म मय शर्तों के इस कार्यालय से रू. 500/- देकर जिला नाजीर नजारत अनुभाग झाबुआ से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक संस्थाऐं/व्यक्ति/कंपनी के निविदा फार्म निविदा शर्तो के संबंध में सहमति दर्शाते हुए **निविदा जारी होने की दिनांक से दिनांक 18/09/2026 को दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किए जावेंगे।**

निविदा दिनांक 21/09/2026 को दोपहर 02.00 बजे स्थापना में गठित समिति एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते है। तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिए सूचित कर सकते हैं, किन्तु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/शर्तें निविदा प्रलेख मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईटwww.mphc.govin एवं जिला न्यायालय झाबुआ की वेबसाईट https://jhabua.dcourts.gov.inपर उपलब्ध है।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ (म.प्र.)

//कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ(म.प्र.)//

–: निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. सभी निविदाकर्ता फार्म के साथ अपना आपराधिक रिकार्ड न होने के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे। सफल निविदाकर्ता का चरित्र सत्यापन पुलिस अधीक्षक झाबुआ से कराया जाएगा, जिसमें उसका आपराधिक रिकार्ड पाये जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।
3. निविदाकर्ता द्वारा अर्नेस्ट मनी राशि रू. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के नाम से सीलबंद लिफाफे में निविदा फार्म के साथ ही, अंतिम तारीख तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में नियमानुसार वापसी योग्य होगा।
4. निविदा स्वीकृति उपरांत निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबंध–पत्र निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी तथा नई निविदा प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि की वसूली भी की जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत वांछित दस्तावेज एवं अर्नेट मनी का बैंक ड्राफ्ट संलग्न न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अंतर्गत साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
6. कैंटीन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा, उसे ठेके की राशि का 3 माह की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा कराना होगा।
7. सफल निविदाकर्ता को केंटीन संचालन किराया की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा कर चालान की प्रति जिला नाजिर, झाबुआ/लेखानुभाग कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के पास जमा कराना होगा।
8. कैंटीन का मासिक ठेका **राशि रूपये 20,000/–(रू. बीस हजार मात्र) है।** उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की निविदा स्वीकार की जावेगी।
9. केंटीन संचालन हेतु बतौर सुरक्षा निधि, रू. 1,00,000/–(रू. एक लाख मात्र) की एफ.डी. आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के नाम से **एक वर्ष की अवधि के लिये,** आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी। निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत उक्त एफ.डी. आर. की राशि, उस समय के मुल्यानुसार निविदाकर्ता को नियमानुसार वापस की जावेगी।
10. कैंटीन ठेकेदार ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेगा, जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।
11. कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।

12. कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी, जांच में यदि खाद्य सामग्री मिलावट अथवा अमानक पायी जाती है तो कैंटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

13. कैंटीन का ठेका आवंटन/निरस्त के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होगा।

14. कैंटीन ठेके की अवधि एक वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी।

15. कैंटीन में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय वर्जित रहेगा।

16. यदि ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

17. जिस निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क अंकित किया जावेगा, उसकी निविदा स्वीकृति योग्य होगी तथा प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। केंटीन संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी, जिसकी सूचना जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

18. कैंटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

17/6/2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला झाबुआ (म.प्र.)